भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

20 मार्च, 2014

राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के समर्थन में

23 से 29 मार्च तक संघर्ष सप्ताह मनाने,

29 मार्च, 2014 को दण्डकारण्य बंद सफल बनाने का आव्हान

भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जनता, जनवादी – प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, वकीलों, मानवाधिकार संगठनों व कार्यकर्ताओं एवं जेल बंदियों के परिवारजनों का आव्हान करती है कि वे आगामी 23 से 29 मार्च के बीच राजनीतिक जेल बंदियों के अधिकारों के समर्थन में संघर्ष सप्ताह मनावें एवं 29 मार्च को एक दिनी दण्डकारण्य बंद सफल बनावें। संघर्ष सप्ताह के दौरान जगह – जगह जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन, सड़क मीटिंग करें, जेल बंदियों के संघर्षों की मदद् में भाईचारा प्रकट करें।

देश के सामंती, दलाल बड़े पुंजिपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जन विरोधी केन्द्र–राज्य सरकारों के द्वारा बड़े बांधों, वृहत् कारखानों व बड़ी खनन परियोजनाओं के लिए जनता के जल–जंगल –जमीन को हड़पने, तद्वारा होने वाले विस्थापन के विरोध में जारी जन संघर्षों, प्रगतिशील – जनवादी आन्दोलनों के दौरान एवं माओवादी मामलों में राज्य यंत्र के द्वारा जबरन गिरफ्तार करके फर्जी मुकद्दमों में फंसाकर जेलों में बंद करना लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की पांचों केन्द्रीय कारागारों, जिला जेलों व उप जेलों में हजारों लोग बंद हैं। इनमें से अत्यधिक लोग आदिवासी हैं। हमारे आन्दोलन के उन्मूलन के लिए जारी देश व्यापी चौतरफा सैनिक हमले के तहत राज्य के संघर्ष इलाकों में दसियों हजार अर्ध–सैनिक बलों को तैनात करते हुए, राज्य पुलिस बलों को लगातार बढ़ाते हुए कार्पेट सेक्युरिटी का लगातार विस्तार किया जा रहा है। नये पुलिस थानों व कैम्पों को स्थापित किया जा रहा है। गांवों पर लगातार हमलें, अवैध गिरफ्तारियां, फर्जी केसें, झूठी व पुलिसिया गवाही के आधार पर लंबी व उम्र कैद की सजाएं देना बेरोकटोक जारी है।

2007 में गिरफ्तार हमारी महिला कामरेड निर्मला जो कि जगदलपुर जेल में बंद हैं, के ऊपर 145 केस लगाए गये थे जिनमें से अब तक वो सौ से ज्यादा केसों में बाइज्जत बरी हो गई हैं। इसमें करीबन 7 साल का समय लग गया है। इस एक उदाहरण से यह स्पष्ट है कि सरकार माओवादियों को झूठे मामलों में कैसे फंसा रही है। हमारी महिला कार्यकर्ता कॉ. मालती को सलवा जुडूम के अत्याचारों पर आधारित सीडी के वितरण के मामलें में बिना गवाही के ही 10 साल की सजा सुनाई गयी। जबकि कोर्ट में मालती के द्वारा सिडी बनाना न ही उसका वितरण करना साबित हुआ था। हथियारों से संबंधित एक और फर्जी मामले में झूठी व पुलिसिया गवाही पर हमारी महिला कार्यकर्ताएं मालती, मीना सहित स्वतंत्र पत्रकार प्रफुल्ल झा, बेगुनाह युवक– प्रतीक झा, सिद्वार्थ शर्मा को जबरन 7–7 साल की सजा दी गयी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इनकी अपील को आंख मूंदकर खारिज किया है। बिलासपूर के दो व्यवसायी भाइयों व रायपुर के एक टेलर को जबरन 3–3 साल की सजा सुनायी गयी। हमारे कार्यकर्ता कॉ. रैनू, कॉ. मधु सहित दो ग्रामीणों को हत्या के एक फर्जी केस में कांकेर कोर्ट के द्वारा फर्जी गवाही पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। इस तरह के दसियों उदाहरण हैं। मरकाम गोपन्ना उर्फ सत्यम रेड्डी, जयपाल रेड्डी सहित सैकड़ों लोग दसियों केसों में बरी होने के बावजूद बचे हुए मुकद्दमों के फैसले के इंतजार में हैं।

बिना गवाही, फर्जी या पुलिसिया गवाही के आधार पर लंबी सजाएं सुनाने वाले जन विरोधी जजों को हम सावधान करते हैं कि कल की जन अदालतों में सजा भुगतने तैयार रहे।

दर असल हमारे गिरफ्तार साथियों व संघर्षरत जनता को जबरन जेलों में सड़ाने की साजिश के तहत ही दसियों झूठे केसों में फंसाया जाता है। साथ ही एस्कार्ट न होने का बहाना करके पेशियों में लगातार नहीं ले जाया जाता है जिससे साधारण केसों में भी बरसों बंद रहना पड़ता है। सजा होने पर भी 6 महीने से 2–3 सालों में छुटने वालों को भी इस तरह 5–6 साल जबरदस्ती बंद रखा जाता है। चार्ज शीट पेश करने में देरी करने से लेकर पेशी में न ले जाने एवं छुटने के बावजूद जेल गेट से ही दोबारा गिरफ्तार करके झूठे व नये केसों में फंसाया जाता है। भिलाई से गिरफ्तार महिला कामरेड पद्मा को बाइज्जत बरी होने के बावजूद फिर से केस लगा कर जगदलपुर जेल में बंद किया गया है।

संघर्ष इलाकों में जारी अवैध व बेरोकटोक गिरफ्तारियों के चलते यहां की जनता खासकर आदिवासी युवाओं से जेलें पट पड़ी हैं। 110, 109, 151 धाराओं के तहत सैकड़ों आदिवासी युवाओं को जेलों में सालों सड़ाया जा रहा है। क्षमता से काफी अधिक संख्या में–दोगुने, तीन गुने, कहीं – कहीं तो चार गुने संघर्षरत जनता को जेलों में ठुंसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की जेलों की अव्यवस्था व असुविधाओं का आलम यह है कि वहां आमानवीय, दयनीय व पाशविक परिस्थितियां बनी हुई हैं। जेलें दर असल दमनकारी राज्य यंत्र का ही हिस्सा हैं। जेलों को सुधार गृह कह कर प्रचारित करना न सिर्फ बेमानी है बल्कि संघर्षरत इंसानों को तोड़कर रख देने के शासक वर्गों की साजिश पर परदा डालने के लिए ही है। अंग्रेजों के जमाने के जेल मैनुअल को नाम मात्र के संशोधनों के साथ यथावत लागू किया जा रहा है। एक तो इन मैनुअलों में बंदियों के साथ जनवादी व सम्मानजनक व्यवहार से संबंधित बदलावों के अलावा आज के मूल्य सूचकांक एवं महंगाई के मुताबिक काफी संशोधन करने की जरूरत है तो दुसरी ओर वर्तमान जेल मैनुअलों का भी पालन कहीं नहीं हो रहा है। खाने–पीने, पहनने–ओड़ने, रहने, पढ़ने – लिखने अदि बंदियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं में काफी व व्यापक कटौती करके जेल अधिकारी से लेकर गृह मंत्री तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और करोड़ों की काली कमाई कर रहे हैं। कीड़े पड़े चावल, दाल के नाम पर सिर्फ पीला पानी, अन्य दैनिक उपयोगी सामान जैसे तेल, साबून, पेस्ट आदि को जेल मैनुअल के कोटे से काफी कम या नाम मात्र का दिया जाता है। पेपर, पत्रिका, किताब,टीवी समाचार आदि नसीब नहीं होते हैं।

दूसरी ओर कुछ जेलों में केंटीन चलाये जाते हैं जहां अच्छा भोजन व अन्य सामग्री उन बंदियों को उपलब्ध होती है जो मुहमांगी दाम दे सकते हैं। जहां केंटीन नहीं हैं, वहां भी खाना सहित सभी सामान खरीदने से मिल सकते हैं बशर्ते जेल वार्डरों, नंबरदारों को उनका सेवा शुल्क अदा किया जाए।

सुविधाओं की मांग करने वालों को काल कोठरी (सिंगल सेल) में बंद किया जाता है। दुसरों से मिलने नहीं दिया जाता है। जेल अधिकारियों के काले कारनामों को उजागर करने की हर कोशिश को दबाने के लिए पगली घंटी बजाया जाता है और सभी बंदियों को लाकअप करके बाद में बैरकें से एक–एक को निकालकर बेदम पिटाई की जाती है। इस तरह बंदियों में दहशत फैलाया जाता है और जेल प्रशासन के खिलाफ उठने वाली हर आवज को दबाने की कोशिश की जाती है।

जेल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं नाम मात्र की हैं। जेल के बाहर के अस्पतालों में बंदी मरीजों को नहीं ले जाया जाता है। इलाज के अभाव में जेलों में बंदियों की अकाल व जबरन मौतें आम बात हो गयी हैं। कोण्डागांव जिलें के पदेली निवासी आदिवासी किसान बलिराम कश्यप जिन्हें 2012 में तीसरी बार माओवादी होने के झूठे आरोप में जगदलपुर जेल में बंद किया गया था, की 2013 में मौत हो गयी। हमारे कार्यकर्ता रामलाल की 12 जुलाई, 2013 को जगदलपुर जेल में मौत हो गयी। महिला बंदियों की भूख हड़ताल के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां एक दिन बाद ही उनकी शहादत हुई।

सभी जेलों खासकर केन्द्रीय कारागारों में लघु उद्योग धंधे चालू हैं जहां सजायाफ्ता बंदियों के अलावा विचाराधीन बंदियों से भी जबरन काम कराया जाता है और रोजी के नाम पर 10 रू. प्रति दिन दिया जाता है। कुछ जेलों में उससे भी कम। जेलों की साफ–सफाई, एवं अन्य तमाम काम तो मुफ्त में ही कराया जाता है।

जेलों में बंद अत्यधिक लोग आदिवासी हैं और अंदरूनी इलाकों के हैं इसलिए उनके परिजनों के लिए मुलाकात के लिए जाना मुश्किल है। विधिक सहायता पहुंचाना भी कठिन है। मुलाकात के लिए जाने वालों से जेल में पैसे एंठ लिया जाता है। मुलाक़ात में सीधी बात नहीं करने देते हैं। गुप्तचर विभाग के पुलिस अधिकारियों के सामने ही जेल बंदियों को मुलाक़ातियों के साथ बात करना पड़ता है।

जेलों में जेल अधिकारियों के इशारे पर नंबरदारों की गुण्डागर्दी बेरोकटोक जारी है। क्रान्तिकारी आन्दोलन से भागकर आत्मसमर्पण करके प्रतिक्रान्तिकारी बनने वाले लोगों को जेलों में भेजकर उनके द्वारा जेल बंदियों को मुखबिरतंत्र में जबरन शामिल कराने के गैर–कानूनी प्रयास जारी हैं।

जेलों में मौजूद अव्यवस्था, समस्याओं व जेल अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ जेल बंदी कामरेड्स हिम्मत व साहस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इनके संघर्षों को जेल अधिकारी दमन, दबाव, धौंस के जरिए कुचलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 2013 में 18 से 28 फरवरी के बीच जगदलपुर की महिला जेल बंदियों ने अभुतपुर्व भूख हड़ताल की। नागपुर केंद्रीय कारागार की महिला बंदियों ने 2013 में जेल अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ जोरदार आन्दोलन किया था।

मीडिया कर्मियों से हम अपील करते हैं कि वे राजनीतिक जेल बंदियों की मांगों व उनके संघर्षों को जनता के सामने लावें।

चूंकि माओवाद उत्पीड़ित जनता का राजनीतिक सिद्धांत है और हमारी पार्टी चार उत्पीड़ित वर्गों – मजदूर, किसान, छोटे पूंजिपति व देशी पूंजिपति की नवजनवादी राजसत्ता के लिए लड़ रही हैं, इसलिए माओवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों व साथ ही जनवादी, प्रगतिशील आन्दोलनों एवं जल–जंगल–जमीन पर अधिकार के लिये जारी संघर्षों के दौरान राज्य दमन के तहत जेलों में बंद तमाम लोगों को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने व जेलों में बंद तमाम आदिवासियों को निशर्त रिहा करने की मांग करने हमारी पार्टी जनता, जनवादी–प्रगतिशील ताकतों, मानवाधिकार संगठनों व कार्यकर्ताओं से अपील करती है।

जेल बंदियों पर अत्याचार करने वाले भ्रष्ट जेल अधिकारियों व उनके दलाल नंबरदारों को हम चेतावनी देते हैं कि वे अपने व्यवहार को सुधारें वरना जन अदालत में गंभीर सजा भुगतने तैयार रहे।

हमारी पार्टी जनता का आव्हान करती है कि वह राजनीतिक जेल बंदियों के अधिकारों के समर्थन में मार्च 23 से 29 तक संघर्ष सप्ताह मनावें, 29 मार्च को दण्डकारण्य बंद सफल बनावें। प्रगतिशील वकीलों से अपील करती है कि वे राज्य यंत्र के दमन के शिकार होकर जेलों में बंद लोगों को विधिक सहायता पहुंचाने आगे आवें।

गुड्सा उसेंडी

(गुड्सा उसेण्डी)
प्रवक्ता,
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

विशेष सूचना– शैक्षणिक व चिकित्सा सेवाएं बंद से मुक्त हैं।